लोक निर्माण अनु

संख्या-1337/35-5-2002-8174/2000-170

एस0एन0 झा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. आयुक्त,
इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, विन्ध्याचल, बस्ती, देवीपाटन, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।

2. जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर 2002

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रतिपादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से नियोजन विभाग के अंतर्गत पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि सृजित की गयी थी। जिससे प्रतिवर्ष राज्यांश एवं जिलांश की विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। उपर्युक्त निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, कार्यदायी संस्था निर्धारण, स्वीकृति की प्रक्रिया आदि के संबंध में एक नियमावली वर्ष 1990 में बनायी गयी थी जिसके क्रम में समय-समय पर अनेक संशोधन जारी किये गये हैं।

अतएव उक्त निधि से संबंधित पूर्ववर्ती नियमावली एवं संशोधन आदेशों को समेकित करते हुए तथा कतिपय अन्य प्राविधान सम्मिलित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रतिपादन एतद्द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त इस अपेक्षा के साथ संलग्न है कि उक्त निधि

अंतर्गत वित्त पोषित/प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में कृपया मार्गदर्शी सिद्धान्त के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

।एस0एन0 झा।
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-1337 ।1।/35-5-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त संहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त ।
3- अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली हाउस, बारह खम्भा रोड नई दिल्ली ।
5- प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ।
6- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड जनपद ।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
8- निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश ।
11- निजी सचिव, सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश ।
12- निजी सचिव, विशेष सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश ।
13- वित्त ।व्यय-नियंत्रण। अनुभाग-5
14- उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, संबंधित मण्डल।
15- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संबंधित जनपद।
16- संबंधित अन्य पत्रावली।
17- गार्ड फाइल, नियोजन अनुभाग-5

संलग्नः यथोपरि।

आज्ञा से,

।अरून सिंह।
विशेष सचिव

संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी

सिद्धान्त

1. नाम–इस निधि का नाम संतुलित क्षेत्रीय विकास पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड निधि होगा जिसे एतद्द्वारा "निधि" कहा जायेगा।
2. उद्देश्य– प्रदेश के पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण इस निधि से किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदों में आर्थिक विकास में गति आ सके।
3– क्षेत्र–निधि के अंतर्गत समय समय पर उपलब्ध धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड में निम्नलिखित जनपदों में किया जायेगा :–

पूर्वान्चल क्षेत्र

मण्डल	जनपद
इलाहाबाद	1. इलाहाबाद 2. फतेहपुर 3. प्रतापगढ़ 4. कौशाम्बी
फैजाबाद	1. फैजाबाद 2. अम्बेडकर नगर 3. सुल्तानपुर 4. बाराबंकी
गोरखपुर	1. गोरखपुर 2. देवरिया 3. महराजगंज 4. कुशीनगर
वाराणसी	1. वाराणसी 2. गाजीपुर 3. चन्दौली 4. जौनपुर
आजमगढ़	1. आजमगढ़ 2. बलिया 3. मऊ
विन्ध्याचल	1. मीरजापुर 2. सोनभद्र 3. संत रविदास नगर
बस्ती	1. बस्ती 2. सिद्धार्थ नगर 3. संत कबीर नगर
देवीपाटन	1. बलरामपुर 2. श्रावस्ती 3. गोण्डा 4. बहराइच

बुन्देलखण्ड क्षेत्र

झांसी	1. झांसी 2. जालौन 3. ललितपुर
चित्रकूट धाम	1. बांदा 2. हमीरपुर 3. चित्रकूट 4. महोबा

4– आय स्रोत–निधि में धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने आय–व्ययक में किये गये प्रावधानों से प्राप्त होगी। केन्द्र सरकार तथा अन्य स्रोतों से यदि इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तो वह भी निधि में रखी जायेगी।
5– योजनाओं का स्वरूप–
5.1 निधि में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी ऐसी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी जो क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने हेतु सहायक है तथा जिन्हें राज्य योजना/जिला योजना में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है अथवा जिनका वित्त पोषण पूरी तौर से राज्य योजना/जिला योजना से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार निधि से वित्त पोषित योजनायें राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में होंगी।

–2–

5.2 निधि के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश नाम दो भागों में समान रूप से विभाजित किया जायेगा। राज्यांश से ऐसी परियोजनाएं ही स्वीकृत की जायेंगी जिनकी परियोजना लागत रु0।0 लाख से अधिक हो। राज्यांश के अंतर्गत दो या उससे अधिक जनपदों का सम्मिलित रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। रु0 1 लाख से रु0।0 लाख तक की लागत की परियोजनायें जिलांश से स्वीकृत की जायेगी। इण्डिया मार्का-।।। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य रु0।.0 लाख की उक्त न्यूनतम सीमा से मुक्त होगा।

5.3 निधि के अंतर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा समय समय पर अभिज्ञापित जनपद की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों को वरीयता दी जायेगी। मार्ग निर्माण संबंधी कार्य निधियों से राज्यांश से वित्त पोषित किये जाने की अंतिम प्राथमिकता होगी।

5.4 शर्तें :-

1. निधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनायें ही ली जायेंगी जो एक वर्ष में कार्यान्वित करके पूर्ण की जा सकें। ऐसी परियोजनायें स्वीकृत धनराशि के अवमुक्त होने के दिनांक से अधिकतम दो वर्षों के भीतर पूर्ण कर ली जायेंगी।

2. परियोजनाओं के अंतर्गत स्टाफ के लिए पदों का सृजन अनुमन्य नहीं होगा और वाहन का क्रय भी नहीं किया जायेगा जिससे कालान्तर में शासन पर आयोजनेत्तर/आवर्तक व्यय भार बढ़े। यदि किसी परियोजना में अनुरक्षण भार निहित हो तो योजना पूर्ण होने पर उसके अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का व्यय भार वहन करने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा। इस प्रयोजन हेतु योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय राज्यांश के अंतर्गत, नियोजन विभाग तथा जिलांश के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

3. जिलांश हेतु जनपद को आवंटित धनराशि का उपयोग जिला योजना के अनुमोदित कार्यों अथवा जिला सेक्टर के अन्य कार्यों के लिए ही किया जायेगा।

4. जिलांश तथा राज्यांश के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि सर्वप्रथम विगत वर्षों की अधूरी योजनाओं यदि कोई हों को पूर्ण कराने हेतु आवंटित की जायेगी और तत्पश्चात शेष धनराशि नई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की जायेगी।

5. कार्यदायी संस्थायें:

5.1 निधि के अंतर्गत सड़कों तथा पुलियों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं सेतुओं का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सेतु निगम अथवा लोक निर्माण विभाग से ही कराये जा सकेंगे।

5.2 सिंचाई, लघु सिंचाई, विद्युतीकरण, गैर परम्परागत ऊर्जा एवं पेयजल आपूर्ति के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग या उसके अधीन निगमों/संस्थाओं से कराये जायेंगे।

6.3 पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अतिरिक्त जिला पंचायतों विकासखण्डों, नगर निगमों, नगर पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों को भी उनके स्वामित्व की सड़कों पर कार्यदायी संस्था माना जायेगा।

6.4 उपरोक्त 6.1 एवं 6.2 से भिन्न परियोजनाओं के कार्य निम्न कार्यदायी संस्थाओं से करवाये जा सकते हैं। इन योजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था का चयन प्रस्तर 6.5 पर उल्लिखित व्यवस्था नुसार किया जायेगा+

1. लोक निर्माण विभाग
2- राजकीय निर्माण निगम ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
4- जल निगम
5- समाज कल्याण निर्माण निगम
6- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल निगम
7- प्रथम श्रेणी की नगर पालिकायें/नगर निगम/विकास प्राधिकरण जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियंता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियंता नियुक्त हों एवं अपनी सीमा के अंतर्गत निर्माण हेतु स्वयं के संसाधन/संयंत्र/उपकरण आदि उनके पास हों।
8. ऐसी जिला पंचायतें जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियंता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियंता नियुक्त हों तथा उनके स्वयं के संसाधन/संयंत्र/उपकरण आदि हों।
9. फैक्टपेड (केवल भवन निर्माण हेतु)
10- यू0पी0 एग्रो।
11- गन्ना विकास विभाग
12- शासन द्वारा नियमानुसार घोषित अन्य निर्माण एजेन्सी

6.5 निधि के अंतर्गत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद में कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्तुत प्लान तथा आगणन में भूमि की आवश्यकता एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार तुलनात्मक लागत एवं अन्य तुलनात्मक बिन्दुओं यथा-उनकी कार्यक्षमता, अनुभव, गुणवत्ता, सामान्य ख्याति एवं निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध संसाधनों संयंत्रों/उपकरणों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	लोक निर्माण विभाग के जनपद में अवस्थित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता	सदस्य
4.	कार्य से संबंधित उपयोगकर्ता/अनुरक्षणकर्ता विभाग/संस्था का जिला स्तरीय सर्वोच्च अधिकारी	सदस्य

6.6 उपर्युक्त व्यवस्था निधि के अंतर्गत जिलांश एवं राज्यांश की मण्डलयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा संस्तुत समस्त परियोजनाओं के लिये लागू रहेगी।

6.7 राज्यांश/जिलांश हेतु कार्यदायी संस्था का कार्यालय क्रमशः मण्डल/जनपद स्तर पर होना अनिवार्य होगा।

-11-

6.8 निधि से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्यों पर लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 12.5 प्रतिशत सेंटेज चार्जेज नहीं लिये जायेंगे, किन्तु ऐसे डिपाजिट कार्यों पर सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वशासी संस्थाओं को निर्माण लागत में से 5 प्रतिशत से कम कर उस पर 12.5 प्रतिशत की दर तक सेंटेज चार्जेज अनुमन्य किये जा सकेंगे। इन निधियों से 0.1 प्रतिशत की धनराशि अनुश्रवण एवं आवश्यकतानुसार सत्यापन आदि पर व्यय की जा सकेगी। इस संबंध में प्रक्रिया पृथक से निर्धारित कर जारी की जायेगी।

6.9 यदि निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजना में उनकी स्वीकृति के पश्चात कार्यदायी संस्था का परिवर्तन अपरिहार्य हो तो इस संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिलांश एवं राज्यांश से स्वीकृत परियोजना से संबंधित कार्यदायी संस्था के परिवर्तन हेतु क्रमशः मण्डलायुक्त एवं नियोजन विभाग अधिकृत होंगे।

6.10- कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क/पुल/पुलिया तथा भवन निर्माण संबंधित योजनाओं के आगणन की संरचना एवं उनका क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। जिलांश हेतु ऐसे समस्त आगणनों का परीक्षण लो0नि0वि0 से अनिवार्यतः कराया जायेगा।

6.11- कार्यदायी संस्था/विभाग उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। आगणन संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के तकनीकी अभियंताओं/अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत ही तैयार किया जायेगा। निर्माण कार्य की जाँच करते समय यदि यह पाया जायेगा कि किसी कार्य/व्यय की वास्तविक आवश्यकता स्थल पर नहीं थी अथवा आगणित व्यय निर्धारित मानकों से अधिक है अथवा कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित नहीं किया गया है तो उसकी पुष्टि होने पर यथा स्थिति आगणन तैयार करने एवं परीक्षण करने वाले संबंधित तकनीकी अधिकारियों अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित कार्यदायी संस्था की जिले/मण्डल की इकाई को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

6.12- निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा जिलाधिकारी को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके प्राप्त होने पर जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित परिसम्पत्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग को रखरखाव हेतु हस्तांतरित कर दी जाये।

7. परियोजनाओं की स्वीकृति:

7.1 जिलांश के अंतर्गत प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सदस्य विधान सभा/विधान परिषद से 31 मई तक अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी उनसे लिखित रूप से अनुरोध करेंगे।

7.2 जिलांश से वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं को संबंधित मुख्य विकास अधिकारी अपने जनपद के सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद के साथ बैठक करके अंतिम रूप देंगे। योजनाओं का विवरण देते समय विधान सभा क्षेत्र तथा प्रस्तावक का भी संकेत दिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी इन योजनाओं को जिलाधिकारी

को सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे। तदुपरान्त जिलाधिकारी इन योजनाओं के कार्यदायी संस्थाओं के संबंध में संस्तुति सहित सम्पूर्ण विवरण मण्डलायुक्त को प्रेषित करेंगे जो परीक्षणोंपरांत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे।

7.3 जहाँ तक सम्भव हो सके, सभी परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धित सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ही प्रदान की जानी अपेक्षित होगी।

7.4 राज्यांश के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनके सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी। परियोजनाओं के आगणन सम्बन्धित विभाग/मण्डलायुक्त तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित शासन के नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिनका नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग के अधीन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जायेगा। योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पश्चात जनपद स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के आगणन में कोई परिवर्तन बिना शासन की पूर्व स्वीकृति से नहीं किया जायेगा।

7.5 योजनाओं की स्वीकृति का आदेश जारी होने के उपरान्त योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था को जिलाधिकारी द्वारा कार्यादेश प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यादेश की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन के नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

8. <u>विधान परिषद/विधान सभा के सदस्यों की सहभागिता</u>

8.1 जिन विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जनपद आते हैं उनको यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे किसी एक जनपद में अथवा यदि चाहें तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक निधि से आच्छादित प्रत्येक/कुछ जनपदों में निधि से योजनाओं हेतु प्रस्ताव दे सकेंगे।

8.2 विधान सभा सदस्यों को निधि में प्राप्त होने वाली लागत की परियोजनाओं के लगभग समान धनराशि विधान परिषद सदस्यों द्वारा संस्तुत परियोजनाओं हेतु मात्राकृत की जायेगी।

8.3 विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो विधान सभा के सदस्यों द्वारा चयनित किये गये हैं या श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये गये हैं, यदि वे प्रश्नगत निधि से आच्छादित जनपदों में से किसी एक जनपद के निवासी हैं, तो उन विधान परिषद सदस्यों का उक्त गृह जनपद का जिला निधियोजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा। यदि वे किसी अन्य जनपद को विकल्प के रूप में चुनना चाहते हैं तो उन्हें किसी एक निधि से आच्छादित किसी एक जनपद को उनकी मांग पर आवंटित कर दिया जायेगा। आवंटित जनपद में विधान सभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की भी सहभागिता रहेगी।

8.4 स्थानीय निकाय से चुनकर आये विधान परिषद सदस्य जो किसी एक जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उक्त जनपद ही आवंटित किया जाय। उनकी सहभागिता उस जनपद में विधान सभा सदस्यों के समान ही होगी। ऐसे विधान परिषद सदस्य जिनका एक से अधिक जनपदों में निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, उनमें उनको आवंटित जनपद वही होगा जहाँ से वे चुने गये हैं। निधि में उनकी सहभागिता भी विधान सभा सदस्यों के लगभग समान होगी परन्तु उन्हें यह विकल्प होगा कि वे चाहे तो दूसरे जनपदों की योजनाओं पर संस्तुति कर सकेंगे। प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद सदस्य को मात्राकृत धनराशि से ही दूसरे जनपद की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत करने की सूचना मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भेज दी जायेगी। प्रथम जनपद और दूसरे जनपद को मिलाकर उतनी धनराशि व्यय की जा सकेगी जितनी प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद सदस्य को मात्राकृत की गयी हो।

8.5 यदि किसी विधान परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र आंशिक रूप से किसी निधि से आच्छादित है तो उनकी निधि से आच्छादित निर्वाचन क्षेत्र के अंश की जनसंख्या एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । ऐसे विधान परिषद सदस्यों को अन्य विधान सभा सदस्यों के समतुल्य धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

8.6 यदि पूर्ववर्ती विधान सभा/परिषद सदस्य द्वारा अभिशंसित कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे पूरा किया जायेगा।

8.7 जो मा0 विधान परिषद सदस्य एक से अधिक जनपद मण्डल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जनपद का चयन करेंगे जो नोडल जनपद कहलायेगा। उक्त नोडल जनपद चयन किये जाने से पूर्व मा0विधान परिषद सदस्यसंबंधित मण्डलायुक्त को अवगत करायेंगे कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य जनपद का चयन नोडल जनपद के रूप में नहीं किया है। मण्डलायुक्त इस प्रकार चयनित नोडल जनपदों की सूचना शासन को प्रेषित करेंगे। एक से अधिक मण्डलों में निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित होने की दशा में संबंधित मण्डलायुक्त नोडल जनपद निर्धारित करने से पूर्व शासन का अनुपादन प्राप्त करेंगे।

8.8 नोडल जनपद के चयन की सूचना नोडल जनपद के संबंधित मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित मा0 विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारियों तथा मण्डलायुक्त को चयन के उपरान्त तत्काल प्रेषित की जायेगी।

8.9 मा0 विधान परिषद् सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के समस्त जनपदों के प्रस्ताव नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को 31 मई, तक उपलब्ध करायेंगे और तद्नुसार प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यककार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नोडल जनपद को शासन द्वारा जिलांश से आवंटित कुल धनराशि विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी मा0 सदस्यों में समान रूप से मात्राकृत की जायेगी, और इसी मात्राकरण की सीमा तक प्रस्ताव मा0 विधान परिषद्सदस्य द्वारा नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को दिये जा सकेंगे चाहे व उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी जनपद के हों। यदि किसी विधान परिषद् सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र आंशिक रूप से किसी निधि से पोषित है तो उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि का मात्राकरण किया जायेगा।

8.10 नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अन्य जनपदों की प्रस्तावित योजनाओं की सूचना संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं मण्डलायुक्त को उन योजनाओं की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत 15 जून तक प्रेषित कर दी जायेगी। ऐसी योजनाओं में निहित धनराशि संबंधित अन्य जनपद/जनपदों को आवंटित जिलांश की धनराशि से ही 15 जुलाई तक स्वीकृत कर दी जायेगी। इससे संबंधित अन्य जनपद को प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों की धनराशि को जनपद के जिलांश में आवंटित कुल धनराशि से घटाने पर अवशेष धनराशि उसी जनपद के किसी अन्य मा0 विधान सभा सदस्यों एवं विधान परिषद् सदस्यों में समानरूप से वितरित की जायेगी।

8.11 विभिन्न योजनाओं एवं उनमें निहित धनराशि स्वीकृत होने की सूचना संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा मा0 विधान सभा सदस्य के अतिरिक्त नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी विधान परिषद् सदस्यवार/ योजनावार/जनपदवार स्वीकृत योजनाओं की संकलित सूचना अपने कार्यालय में रखेंगे।

8.12 यदि किसी मा0 विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है तो मा0 विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के विधान मण्डल/परिषद् से त्याग पत्र देने की तिथि से पूर्व, मा0 विधायकों के साथ बैठक कर चयनित परियोजनाओं के प्रस्ताव जो मण्डलायुक्तों को प्रेषित किये जा चुके हैं ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत कर कार्यान्वित किया जाय। यदि जनपद स्तर पर प्रस्ताव अंतिम हो गये हों एवं मण्डलायुक्तों को किसी कारणवश मा0 सदस्य के त्यागपत्र देने की तिथि के पश्चात अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गये होंगे भी उन प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाय। यदि किसी जनपद में बैठक न हो पायी हो या प्रस्ताव अंतिम न किये गये हों तो उन जनपदों में त्यागपत्र देने की तिथि से त्यागपत्र देने वाले मा0 विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को बैठक में भाग लेने का या प्रस्ताव प्रेषित करने का कोई अधिकार न होगा। इसके उपरांत यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे ऐसे सभी मा0 विधान सभा सदस्यों, जिन्होंने त्यागपत्र न दिया हो, के मध्य समानरूप से वितरित कर दिया जाय। यदि किसी जनपद में समस्त

विधान सभा सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में मा0 विधान सभा सदस्यों की मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी स्वविवेक से निधियों के नियमानुसार ग्राह्य प्रस्ताव अंतिम कर मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रस्तावों को अंतिम करते समय जिलाधिकारी अपूर्ण कार्यों एवं क्रिटिकल गैप को पूरा करने वाले कार्यों को प्राथमिकता देंगे।

8.13 योजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्रगति अनुश्रवण:

निधि द्वारा वित्त पोषित जिलांश तथा राज्यांश संबंधित समस्त योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रगति के अनुश्रवण का दायित्व जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त का होगा। मण्डलायुक्त अपने स्तर पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक में निधियों से संबंधित एजेन्डा आइटम अवश्य सम्मिलित करेंगे। जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा जिलांश एवं राज्यांश से संचालित समस्त योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। निधि के अंतर्गत परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक त्रैमास में तथा शासन स्तर पर प्रत्येक छः माह में की जायेगी।

9.0 शिथिलीकरण:

इस मार्ग निर्देशिका में निर्गत प्राविधानों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में मा0 नियोजन मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत ही किया जा सकेगा।

0-------0 - - - -0

परिशिष्ट

निधि के अंतर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची :

1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों या संगठनों से संबंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा भवनों का निर्माण।
2. वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसाइटियों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं से संबंधित कार्य।
3. किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।
4. अनुदान एवं ऋण।
5. स्मारक या स्मारक भवन।
6. किसी प्रकार की वस्तु सामग्री की खरीद अथवा भण्डार।
7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अभिग्रहीत भूमि के लिये कोई भी मुआवजा राशि।
8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
9. धार्मिक पूजा के स्थान का क्रय व निर्माण।
10. कच्चे मार्गों, पैदल पथ, पगडन्डियों और पैदल कच्चे पुलों का निर्माण।
11. नहरों, नालों तथा तालाबों की सफाई।
12. अस्पताल, स्कूल आदि के लिये आवर्तक व्यय।
13. अत्यन्त लघु कार्य, सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार।